

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 736/2025 दायर दिनांक 11/10/2025

रिपोर्ट

निर्णय दिनांक 11/10/2025

जि. से. शिविर-2025

क्र.सं.	नाम	खाता नम्बर	वर्तमान प्राविष्टी	शुद्ध प्राविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	राजपुरा	40	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p>	<p>शुद्ध प्राविष्टी</p> <p>1. भेरु पिता बंधु सा.देह खातेदार सा.देह खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन (पूर्ण खाता) 1/3</p> <p>2. सीता पिता बंधु गाडरी सा.देह खातेदार राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन (पूर्ण खाता) 1/3</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 40 में वर्तमान प्राविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

पटवार कपासन
राजस्थान ग्रामीण बैंक
चित्तौड़गढ़ जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़